151

CI-00259003
28-2-12

श्री

अपील क.———

—अपील अन्तर्गत धारा 47 :क: उपधारा 5 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम—

00259003
आज
29-2-12 को प्राप्त

A 816 I/12

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व मण्डल
495
28-2-12

1.श्रीमती संध्या पति श्री सुनीलकुमारजी गांधी, आयु 39 वर्ष,
2.श्रीमती स्नेहलता पति श्री कमलकुमारजी गांधी, आयु 43 वर्ष,
निवासीयान 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम ———————— **अपीलांट**

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक, रतलाम.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प रतलाम
3. म.प्र. शासन द्वारा अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन
4. श्री रविन्द्रसिंह पिता श्री गुरूमुखसिंहजी,
निवासी शास्त्री नगर, रतलाम ———————— **रेस्पान्डेन्ट्स**

—द्वितीय अपील—

मान्यवर महोदय,

अपीलांट यह द्वितीय अपील न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के अपील प्रकरण कमांक 11/10—11 अपील में पारीत आदेश दिनांक 15.12.2011 से असंतुष्ट होकर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करते हैं :—

1. अपीलार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :—
1.संध्या पति श्री सुनीलकुमारजी गांधी, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम
2.स्नेहलता पति श्री कमलकुमारजी गांधी, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम

2. लिखतम निष्पादन करने वाले का नाम,पिता/पति का नाम,व्यवसाय तथा पता:—
रविन्द्रसिंह पिता गुरूमुखसिंहजी, व्यवसाय व्यापार, निवासी शास्त्री नगर, रतलाम

3.लिखित के अधिन दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुरा नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय तथा पता :—
1.संध्या पति श्री सुनीलकुमारजी गांधी, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम
2.स्नेहलता पति श्री कमलकुमारजी गांधी, व्यवसाय गृहकार्य, निवासी 10 हाटीराम दरवाजा, रतलाम

4. लिखित की तारीख तथा उसका प्रकार :—
विकय पत्र दिनांक 06.03.2010

5. रजिस्ट्रीकरण कमांक, रजिस्ट्रीकरण की तारीख तथा उस कार्यालय का नाम, जहॉं लिखित का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो :—
अपंजीकृत, सब रजिस्ट्रार कार्यालय रतलाम

Sandhya ..2 स्नेहलता

151

87

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-816-एक/2012

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 20-01-2015 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	